



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक: 13.06.2025

कार्यालय ज्ञापन सं 44/2025

पिछले कार्यालय ज्ञापन संख्या 102/2024 दिनांक 30.10.2024 को रद्द करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश दिया गया है कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 155 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय क्रय समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से सम्बद्ध निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं, जो प्रत्येक अवसर पर 50,000/- रुपये से अधिक और 5,00,000/- रुपये तक की लागत वाली वस्तुओं की खरीद के लिए बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से जुड़े हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

1.	श्री बिमान साहा, स.नि.चा.वि;
2.	श्री अर्नव गोस्वामी, स.ले.अ.;
3.	श्री शांतनु गुहा, स.ले.अ. ;
4.	श्री मिश्री चौधरी, स.सचि.स ;

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	उपर्युक्त सूचीबद्ध सभी कार्मिक	
2.	बोर्ड के मुख्यालय,कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष व सचिव को छोड़कर)	
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4.	उपाध्यक्ष, वि.स. एवं मु.ले.अ. व सचिव के नि.सह	
5.	आई.टी. कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
6.	टीबीइए	
7.	सुरक्षा शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

Ref. File No. 1(8)/2005/SO/Part-I